मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 16–06/2020/पी–2/31 भोपाल, दिनांक / /2020

प्रति,

श्री पवन कुमार गुप्ता
अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मंडल, जबलपुर (म.प्र.)

द्वाराः–प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषयः–विभागीय जॉच विरूद्ध–श्री पवन कुमार गुप्ता, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, जबलपुर।

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय जॉच करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों एवं कदाचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है, उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है।

2/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 अंतर्गत एतद् द्वारा यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची सहित आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे (तीन प्रतियों में) इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से शासन को प्रस्तुत करें।

यह भी सूचित करें कि :–

(अ) क्या आप स्वयं उपस्थित होकर कुछ निवेदन करना चाहते है।
(ब) क्या आप मौखिक जॉच कराना चाहते है।
(स) क्या आप अपनी ओर से साक्ष्य एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करना चाहते है। यदि हॉ तो उसका विवरण (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करें।

3/– आपकी ओर से प्रतिवाद का लिखित अभिकथन समयावधि में प्राप्त न होने पर, यह मानकर कि आपको अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4/– कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

संलग्नः–1. आरोप पत्र 2. अभिकथन पत्र
3. अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–06/2020/पी–2/31 भोपाल, दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग।
2– बेव मैनेजर (कार्यपालन यंत्री) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल कृपया आज ही विभाग की बेवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

अवर सचिव 19.2.20
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

आरोप पत्र विरूद्ध श्री पवन कुमार गुप्ता, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, जबलपुर (म.प्र.)

आप दिनांक 03.03.2018 से निरन्तर जल संसाधन मंडल, जबलपुर में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ है। इस अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए आपके विरूद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता है :–

आरोप :–

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अवमानना प्रकरण कमांक 3275/2018 श्री आर. एम. बागरी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन तथा अन्य में शासन की ओर से प्रतिरक्षण हेतु आपको संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया। आपके द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये एवं अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरती गई, जबकि विभाग की ओर से प्रकरण में रिट अपील कमांक 262/2019 दायर की जा चुकी थी। अवमानना प्रकरण में आपकी लापरवाही एवं उदासीनता के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय की ओर से निरन्तर वारंट जारी होने की स्थिति निर्मित हुई, जिससे विभाग की छवि भी धूमिल हुई। अन्ततः प्रकरण में याचिकाकर्ता को समस्त अनुवर्ती लाभों के साथ बहाल किया जाना विभाग की बाध्यता रही। विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है।

इस प्रकार आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3(1)एक एवं दो (2) का उल्लंघन कर स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भागीदार बना लिया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद ~~कुमार~~ खरे) 19/2/20
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

अभिकथन पत्रक विरूद्व श्री पवन कुमार गुप्ता, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, जबलपुर (म.प्र.)

आप दिनांक 03.03.2018 से निरन्तर जल संसाधन मंडल, जबलपुर में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ है, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए आपके विरूद्व अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार हैं :–

श्री आर.एम. बागरी, तत्कालीन उपयंत्री, वि./यां. को उनके विरूद्ध अनुशासनिक प्रकरण में शासनादेश क्रमांक एफ 18–4/2013/पी–2/31, दिनांक 13.05.2016 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड से दण्डित किया गया । दण्डादेश के विरूद्ध श्री बागरी का अपील अभ्यावेदन शासनादेश क्रमांक 994/837/2016/पी–2/31, दिनांक 01.09.2016 द्वारा अमान्य किया गया ।

तत्पश्चात् श्री बागरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याचिका क्रमांक 15341/2016 दायर की गयी । जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2018 को वादी के पक्ष में कंडिका 26 अनुसार निर्णय पारित किया गया :–

"In view of the aforesaid, this Court is not hesitsant to say that the order passed by the disciplinary authority on 13.05.2016 and also by the appellate authority on 01.09.2016 in respect of the petitioner are hereby quashed Consequently, the respondent are directed to reinstate the petitioner with all consequential benefits including all intervening benefits and allow him to continue in the employment."

माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री बागरी द्वारा शासन के समक्ष अपील अभ्यावेदन दिनांक 01.09.2018 प्रस्तुत कर सेवा में बहाली की मांग की गई । माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.06.2018 पर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिये गये अभिमत दिनांक 27.09.2018 का सारांश निम्नानुसार है :–

"The order dated 19.06.2018 is not in accordance with law and therefore, as per my prudence, I opined the said order has to be tested before the Division

Bench, therefore, it is requested to send the OIC for preparation of the Writ Appeal along with relevant documents earliest."

आपके द्वारा शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त करने में दिनांक 19.06.2018 से दिनांक 26.09.2018 तक का आपत्तिजनक विलंब किया गया । शासकीय अधिवक्ता के मत एवं विधि विभाग की अनुमति अनुसार रिट याचिका क्रं. 15341/16 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी/अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, जबलपुर ने शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दिनांक 30.01.2019 को रिट अपील क्रं. 262/19 स्थगन हेतु प्रस्तुत की, जिसपर दिनांक 20.02.2019 को सुनवाई में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, जिसे मान्य करते हुए आगामी तिथि नियत की गयी । दिनांक 06.08.2019 को नियत सुनवाई में अपीलार्थी शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए । श्री बागरी के पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः रिट अपील में अगली संभावित तिथि 20.12.2019 नियत की गई, किन्तु स्थगन नहीं दिया गया ।

इसी दौरान श्री बागरी द्वारा उनके पक्ष में दिये गये निर्णय दिनांक 19.06.2018 का पालन नहीं होने से अवमानना याचिका क्रं. 3275/18 प्रस्तुत की गई, जिसकी लिस्टिंग 26.11.2018 को हुई तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षण अधिकारी (आपको) को नोटिस जारी किया गया । प्रथम सुनवाई दिनांक 10.04.2019 को हुई, जिसमें आप उपस्थित नहीं हुए । सुनवाई हेतु निर्धारित अगली तिथि दिनांक 23.04.2019 को भी आप उपस्थित नहीं हुए । अतः दिनांक 23.04.2019 को अवमानना प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख सचिव तथा प्रमुख अभियन्ता के विरूद्ध रूपयें 5000/- का जमानती वांरट जारी कर अगली तिथि दिनांक 18.06.2019 निर्धारित की गई । दिनांक 18.06.2019 को आपके द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध रिट अपील प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 19.06.2018 से दिनांक 09.04.2019 तथा 10.04.2019 से 17.06.2019 तक शासन हित मे आपके द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया । अगली तिथि 04.10.2019 को स्थिति यथावत् रही, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष आपकी ओर से किये गये कथन के समर्थन में कोई कार्यवाही न होने तथा तिथि दिनांक 30.11.2019 को आपकी पुनः अनुपस्थिति को माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए आपकी लापरवाही का निर्णय अंकित कर अगली तिथि प्रमुख अभियन्ता के गिरफ्तारी वारंट सहित दिनांक 10.12.2019 निर्धारित की गई ।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आपके द्वारा रिट अपील प्रकरण क्रमांक 262/2019 में तथा अवमानना प्रकरण क्रमांक 3275/2018 में लापरवाही बरती गई । शासन के पक्ष में रिट अपील पर कोई फैसला न हो पायें तथा अवमानना प्रकरण में उचित प्रतिरक्षण न किया जाकर ऐसा दबाव हो सके कि श्री बागरी के पक्ष में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 प्रभावशील बना रहे तथा अनुपालन न होने से प्रमुख सचिव तथा प्रमुख अभियन्ता के विरूद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो सके।

आपकी कर्तव्यहीनता के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष विभाग की छवि धूमिल हुई । न्यायालयीन प्रकरण में आपकी उदासीनता स्पष्ट प्रमाणित है । जिसके लिये आप पूर्णतः दोषी है । श्री बागरी के पक्ष में किये गये संदिग्ध आचरण से शासन को अन्तिम विकल्प के रूप में अन्ततः उन्हें समस्त अनुवर्ती लाभों सहित आदेश दिनांक 09.12.2019 द्वारा सेवा में वापिस लेना पड़ा।

इस प्रकार आपने म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03(1) एक एवं दो, (2) एक का उल्लंघन कर स्वयं को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भागीदार बना लिया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(प्रमोद कुमार खरे) 19.2.20
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री पवन कुमार गुप्ता, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, जबलपुर(म.प्र.)

अभिलेखों की सूची

1. शासन आदेश क्रमांक एफ 18–04/2013/पी–2/31, दिनांक 13.05.2016
2. शासन आदेश क्रमांक 994/837/2016/पी–2/31, दिनांक 01.09.2016
3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रं. 15341/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018
4. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अवमानना याचिका क्रं. 3275/2018 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019
5. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अवमानना याचिका क्रं. 3275/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 23.04.2019
6. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अवमानना याचिका क्रं. 3275/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट अपील क्रं. 262/2019 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019
8. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट अपील क्रं. 262/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2019
9. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अवमानना याचिका क्रं. 3275/2018 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019
10. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अवमानना याचिका क्रं. 3275/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2019
11. मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 18–04/2013/पी–21 दिनांक 09.12.2019

गवाहों की सूची

गवाह – शून्य

प्रकरण अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित ।

19.2.20
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग